

शिर्षी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) बादरा, जिला हनुमानगढ़
 पीतापीन अधिकारी :- श्री कल्याण शिवराम आर.ए.एस.

मि०न० - 177/2022

अनमान :-

1. प्रेमसिंह पुत्र गोगनराम जाति जाट निवासी झांसल बादरा रा० बादरा।

वादी

बनाम

1. खूवराम पुत्र निहालसिंह जाति जाट निवासी उदराण सदरील बादरा।
2. कृष्णकुमार पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी उदराण सदरील बादरा।
3. विमला पत्नी धन्नाराम जाति जाट निवासी उदराण सदरील बादरा।
4. सुनीलकुमार पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी उदराण सदरील बादरा।
5. भारतीय स्टेट बैंक अमीवडी जर्मि थाया प्रकंपक अमीवडी।
6. राजस्थान सरकार जर्मि सदरीलदार बादरा।
7. संदीप कुमार } मि० साधुराम जाति जाट निवासी झांसल सदरील बादरा।
8. विनोद }

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ कल्याण शिवराम उपखण्ड अधिकारी बादरा के समक्ष चकील वादी श्री मुशीराम गोरवाणी व वकील प्रतिवादीगण श्री सुरेन्द्र मील की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक विभाजन डिक्री किया जाता है तथा रोही मौजा चक 4 ए०एम०एस० के खाता सं० 86/71 के मु० न० 46 के किला न० 16, 17, 18, 23, 24, 25, मु० न० 47 के किला न० 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24 मु० न० 50 के किला न० 2/1 की 0.228है० नहरी, किला न० 2/2 की 0.025है० गै० मु० खाता, किला न० 3/1 की 0.228है०, किला न० 3/2 की 0.025है० गै० मु० खाता कुल रकबा 5.540है० जिसमें नहरी 5.490है०, गै० मु० खाता 0.050है० खातेदारी में कृष्ण कुमार के नाम से 1231/11080 हिस्सा, खूवराम के नाम से 101/11080 हिस्सा, प्रेमसिंह के नाम से 253/11080 हिस्सा, विमला के नाम से 479/2216 हिस्सा, सुनील कुमार के नाम से 1231/11080 हिस्सा, विनोद कुमार के नाम से 449/2770 हिस्सा व संदीप कुमार के नाम से 449/2770 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त वाद भूमि में खाता विभाजन अलग-अलग करवाने हेतु निवेदन किया है। अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव डीकी किया जाकर पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है-

वादी प्रेमसिंह पुत्र गोगनराम जाति जाट साकिन झांसल खातेदार :- रोही मौजा चक 4 एएमएस के मु०न० 47 के किला न० 4 की 0.151है०, किला न० 5 की 0.202है०, किला न० 6/1 की 0.228है०, किला न० 7 व 8 प्रत्येक किला की 0.253है०, किला न० 15/3 की 0.166है० कुल रकबा 1.253है० नहरी,

प्रतिवादी सं० 1 खूवराम पुत्र निहालसिंह जाति जाट साकिन उदराण खातेदार :- रोही मौजा चक 4 एएमएस के मु०न० 47 के किला न० 15/1 की 0.047है०, किला न० 14/2 की 0.0035है०, कुल 0.0505है० नहरी।

प्रतिवादी सं० 2 कृष्ण कुमार पुत्र धन्नाराम 1243/4881 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 3 सुनील कुमार पुत्र धन्नाराम 1243/4881 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 4 विमला पत्नी धन्नाराम 11975/24405 हिस्सा जाति जाट साकिन उदराण खातेदार :- रोही मौजा चक 4 एएमएस के मु०न० 47 के किला न० 13 की 0.253है० नहरी, किला न० 14/1 की 0.2495है० नहरी, किला न० 16 की 0.076है० नहरी, किला न० 17, 18 व 19 प्रत्येक किला की 0.253है० नहरी, किला न० 22 व 23 प्रत्येक किला की 0.253है० नहरी, किला न० 24 की 0.140है० नहरी, मु० न० 50 के किला न० 2/1 की

0.228 है० नहरी, किला न० 2/2 की 0.025 है० गै० गु० खाला, किला न० 3/1 की 0.152 है० नहरी, किला न० 3/2 की 0.025 है० गै० गु० खाला,

प्रस्तावित रास्ता गु० न० 47 के किला न० 6/2 की 0.012 है० गै० गु० रास्ता, किला न० 15/2 की 0.015 है० गै० गु० रास्ता पूर्वी तरफ उतर से दक्षिण

कुल एकवा 2.4405 है० जिसमें नहरी 2.3635 है० नहरी, गै० गु० खाला 0.050 है०, गै० गु० रास्ता 0.027 है०

प्रतिवादी सं० 7 सन्दीप पुत्र साधुराम 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 8 विनोद पुत्र साधुराम 1/2 हिस्सा जाति जाट साकिन झांसल खातेदार:- रोही मोजा चक 4 एएमएस के गु० न० 46 के किला न० 16 की 0.253 है० नहरी, किला न० 17 की 0.215 है० नहरी, किला न० 18 की 0.240 है०, किला न० 23 की 0.253 है० नहरी, किला न० 24 की 0.240 है० नहरी, किला न० 25 की 0.240 है० नहरी गु० न० 47 के किला न० 3 की 0.253 है० नहरी, किला न० 4 की 0.102 है० नहरी, कुल एकवा 1.796 है० नहरी

उपरोक्तानुसार पक्षकारान का खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। पूर्व में दर्ज गै० गु० खाला रास्ता एवं भूमि की किस्म को यथावत् रखा जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत ही राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ...18/3/15... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(कल्पित शिवरान)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

शासनालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भावरा, जिला हनुमानगढ़
पीठाधीन अधिकारी :- श्री कल्पित शिवशान आर.ए.एस.

नि० न० - 177/2022

अवगत :-

1. प्रेमसिंह पुत्र गोमनाथ जाति जाट निवासी झायल भावरा त० भावरा।



वादी

मनाम

1. खूराम पुत्र निहालसिंह जाति जाट निवासी जयराज तहसील भावरा।
2. कृष्णकुमार पुत्र भन्नाशम जाति जाट निवासी जयराज तहसील भावरा।
3. विमला पत्नी भन्नाशम जाति जाट निवासी जयराज तहसील भावरा।
4. सुनीलकुमार पुत्र भन्नाशम जाति जाट निवासी जयराज तहसील भावरा।
5. भारतीय स्टेट बैंक भनीवडी जारिये शाखा प्रकमक भनीवडी।
6. राजस्थान सरकार जारिये तहसीलदार भावरा।
7. संदीप कुमार } पि० साधुशम जाति जाट निवासी झायल तहसील भावरा।
8. विनोद }

प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत
धारा 63 राजस्थान कारतकाशी अधिनियम

उपरिस्थिति :- श्री मंशीराम गोरवाणी वादी

श्री सुरेन्द्र गील प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक: 18/11/22

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 4 ए०एम०एस० के खाता सं० 86/71 के मु० न० 46 के किला न० 16, 17, 18, 23, 24, 25, मु० न० 47 के किला न० 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24 मु० न० 50 के किला न० 2/1 की 0.228 है० नहरी, किला न० 2/2 की 0.025 है० गै० मु० खाला, किला न० 3/1 की 0.228 है०, किला न० 3/2 की 0.025 है० गै० मु० खाला कुल रकबा 5.540 है० जिसमें नहरी 5.490 है०, गै० मु० खाला 0.050 है० खातेदारी में कृष्ण कुमार के नाम से 1231/11080 हिस्सा, खूराम के नाम से 101/11080 हिस्सा, प्रेमसिंह के नाम 253/1108 हिस्सा, विमला के नाम से 479/2216 हिस्सा, सुनील कुमार के नाम से 1231/11080 हिस्सा, विनोद कुमार के नाम से 449/2770 हिस्सा व संदीप कुमार के नाम से 449/2770 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि का काफी अर्सा पहले वाहमी वंटवारा हो गया था, जिसमें पक्षकारान के द्वारा अपने-अपने हिस्सा में आई भूमि को अलग-अलग काश्त करना शुरू कर दिया तथा उनका अलग से खेत व सीव डोल बने हुये है। राजस्व रिकॉर्ड में कुल भूमि मुश्तर्का खातेदारी दर्ज होने से माल, लगान आदि को लेकर विवाद बना रहता है। इसलिये वादी भूमि का खाता तकसीम अलग करवाना चाहता है, यह ही बिनाय मुख्यास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त प्रतिवादी सं० 1 ता 4, 7 व 8 की ओर से वकील प्रतिवादी ने वकील वादी ने अंतिम डिक्री किये जाने निवेदन किया। वाद प्राथमिक डिक्री की जाकर तहसीलदार भादरा से विवादित भूमि का विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया कि पक्षकारान के हिस्सा अनुसार मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के विवादित भूमि का खाता व लगान अलग से कायम किया जावे जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने सहमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा चक 4 ए०एम०एस० के खाता सं० 86/71 के मु० न० 46 के किला न० 16, 17, 18, 23, 24, 25, मु० न० 47 के किला न० 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24 मु० न० 50 के किला न० 2/1 की 0.228 है० नहरी, किला न० 2/2 की 0.025 है० गै० मु० खाला, किला न० 3/1 की 0.228 है०, किला न० 3/2 की 0.025 है० गै० मु० खाला कुल रकबा 5.540 है०

जिसमें नहरी 5.490 है०, गै० मु० खाला 0.050 है० खातेदारी में कृष्ण कुमार के नाम से 1231/11080 हिस्सा, खूबराम के नाम से 101/11080 हिस्सा, प्रेमसिंह के नाम से 263/11080 हिस्सा, विमला के नाम से 479/2216 हिस्सा, सुनील कुमार के नाम से 1231/11080 हिस्सा, विनोद कुमार के नाम से 449/2770 हिस्सा व सन्दीप कुमार के नाम से 449/2770 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त वाद भूमि में खाता विभाजन अलग-अलग करवाने हेतु निवेदन किया है। अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव डीकी किया जाकर पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है—

वादी प्रेमसिंह पुत्र मोमनराम जाति जाट साकिन झाराल खातेदार :- रोही मौजा चक 4 एएमएस के मु० न० 47 के किला न० 4 की 0.151 है०, किला न० 5 की 0.202 है०, किला न० 6/1 की 0.228 है०, किला न० 7 व 8 प्रत्येक किला की 0.253 है०, किला न० 15/3 की 0.166 है० कुल रकबा 1.253 है० नहरी,

प्रतिवादी सं० 1 खूबराम पुत्र निहालसिंह जाति जाट साकिन उदराण खातेदार :- रोही मौजा चक 4 एएमएस के मु० न० 47 के किला न० 15/1 की 0.047 है०, किला न० 14/2 की 0.0035 है०, कुल 0.0505 है० नहरी।

प्रतिवादी सं० 2 कृष्ण कुमार पुत्र घन्नाराम 1243/4881 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 4 सुनील कुमार पुत्र घन्नाराम 1243/4881 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 3 विमला पत्नी घन्नाराम 11075/24405 हिस्सा जाति जाट साकिन उदराण खातेदार :- रोही मौजा चक 4 एएमएस के मु० न० 47 के किला न० 13 की 0.253 है० नहरी, किला न० 14/1 की 0.2495 है० नहरी, किला न० 16 की 0.076 है० नहरी, किला न० 17, 18 व 19 प्रत्येक किला की 0.253 है० नहरी, किला न० 22 व 23 प्रत्येक किला की 0.253 है० नहरी, किला न० 24 की 0.140 है० नहरी, मु० न० 50 के किला न० 2/1 की 0.228 है० नहरी, किला न० 2/2 की 0.025 है० गै० मु० खाला, किला न० 3/1 की 0.152 है० नहरी, किला न० 3/2 की 0.025 है० गै० मु० खाला,

प्रस्तावित रास्ता मु० न० 47 के किला न० 6/2 की 0.012 है० गै० मु० रास्ता, किला न० 15/2 की 0.015 है० गै० मु० रास्ता पूर्वी तरफ उत्तर से दक्षिण

कुल रकबा 2.4405 है० जिसमें नहरी 2.3635 है० नहरी, गै० मु० खाला 0.050 है०, गै० मु० रास्ता 0.027 है०

प्रतिवादी सं० 7 सन्दीप पुत्र साधुराम 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 8 विनोद पुत्र साधुराम 1/2 हिस्सा जाति जाट साकिन झाराल खातेदार:- रोही मौजा चक 4 एएमएस के मु० न० 46 के किला न० 16 की 0.253 है० नहरी, किला न० 17 की 0.215 है० नहरी, किला न० 18 की 0.240 है०, किला न० 23 की 0.253 है० नहरी, किला न० 24 की 0.240 है० नहरी, किला न० 25 की 0.240 है० नहरी मु० न० 47 के किला न० 3 की 0.253 है० नहरी, किला न० 4 की 0.102 है० नहरी, कुल रकबा 1.796 है० नहरी

उपरोक्तानुसार पक्षकारान का खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। पूर्व में दर्ज गै० मु० खाला रास्ता एवं भूमि की किस्म को यथावत् रखा जावे। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत ही राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे। पर्चा डीकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18/3/15 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(कल्पित शिवरान)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),
R.A.S.
भाद. उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़